

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत 500 मुकाम वरिहाली
 श्री जयराम बनाम श्री अरुण
 किस्म मुकद्दमा 88 नं. 34/18 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/5/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कॅम्प कोर्ट पुत्रावली पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि</p> <p>श्री पिन्दोडा की स. नं. 75 के नज्द का नज्द का नज्द इट गप्प था, जमीन पुत्रावली के नज्द का नज्द की विराहत के नज्द का नज्द इट गप्प</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा पिन्दोडा की स. नं. 75 के नज्द का नज्द की विराहत में नज्द का नज्द इट गप्प था।</p> <p>इन्हें लॉट में 537, 542, 546, 0.72, 0.59, 0.02 के नज्द का नज्द का 1/6 दिहने के लिए</p> <p>जज जगदीश मोहन सिंह (जज)</p>	

इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(Handwritten signature)
7/5/18

